



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127403

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या - 5622 वर्ष 2026

गौरव गुप्ता

.....आवेदक (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : जे शुभम, जितेन्द्र कुमार मिश्रा

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री जितेंद्र कुमार मिश्रा और राज्य के विद्वान एजीए को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. वर्तमान आवेदन, आवेदक गौरव गुप्ता की ओर से, मुकदमा अपराध संख्या 899 सन् 2021, धारा 3(1), उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना- कोतवाली फर्रुखाबाद, जनपद- फर्रुखाबाद में, उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और वर्तमान प्रकरण में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक को दिनांक 13.11.2021 की प्राथमिकी में गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों के तहत फंसाया गया है। गिरोह चार्ट से एकान्त प्रकरण का पता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चलता है। प्रारंभ में रिट अधिकार क्षेत्र में पारित इस न्यायालय के आदेशों द्वारा गिरावट चार्ट को रद्द कर दिया गया है। इसके बाद पुलिस अधिकारियों की ओर से गैंग का दूसरा चार्ट तैयार किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक जांच और परीक्षण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जांच एजेंसी या संबंधित न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि, यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विचारण में सहयोग करेगा, और न्यायालय द्वारा लगाई जा सकने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि सह-आरोपी देवेंद्र मिश्रा @ डब्बू को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या 3877/2026 के तहत पारित दिनांक 23.04.2026 के आदेश द्वारा अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। आवेदक का प्रकरण उपरोक्त सह-अभियुक्त के प्रकरण के समान है। इस प्रकरण में जांच जारी है और पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।

4. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है, हालांकि, वह तथ्यात्मक पहलू पर विवाद नहीं करता है।

5. पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने समानता के आधार पर अग्रिम जमानत देने के लिए एक प्रकरण बनाया है।

6. तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन को निम्नलिखित निर्देशों के साथ अनुमति दी जाती है: -

(i) यदि उपर्युक्त वाद में सम्मिलित आवेदक गौरव गुप्ता को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे विचारण की समाप्ति तक, सक्षम न्यायालय के समक्ष, ₹50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभुओं के बंधपत्र, संबंधित थाना प्रभारी की संतुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर, अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा;

(ii) आवेदक विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेगा और विवेचना करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक होने पर जांच अधिकारी को रिपोर्ट करेगा;



(iii) आवेदक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके; तथा

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

7. किसी भी शर्त के चूक या दुरुपयोग में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र है।

15 जून 2026

कीर्ति

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)